# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

अजब सिंह गुर्जर आर टी आई कार्यकर्ता गांव सींगनपुर पोस्ट जमूरा तहसील मासलपुर जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—25 / 19 ता.रजु—22.10.19

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

## निर्णय

दिनांक—18.11.2019

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर बिन्दु संख्या 1 में दिनांक 08 अप्रैल 2019 एवं 20.06.2019 को अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्रों की सत्यापित प्रति एवं बिन्दु संख्या 2 में दिनांक 08.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 30.08.2019, 06.09.2019 को मेरे द्वारा भेजे गये पत्रों की सत्यापित प्रति एवं दिनांक 03.07.2019, 15.07.2019, 22.07.2019, 31.08.2019 को मेल आई.डी. पर भेजे गये मेल पर हुई कार्यवाही की एवं नोटशीट की प्रति आदि से संबंधित कुल 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी की सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली से प्राप्त जबाव पत्रांक 504 दिनांक 15.11.2019 से अवगत कराया गया है कि कार्यालय के पत्र क्रमांक 432 दिनांक 11.10.2019 से अपीलाण्ट को सूचित किया जा चुका है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:15:29 IST
Reason: SelfAttested